CMO 83

FORM No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

Kind of the Case 136 LR ACT

Number of Case .... Year 2024

जय भोमियाजी विकास समिति Versus तहसीलदार जोधपुर

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
13/6/2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी ने यह एक रजिस्टर्ड समिति है जिसके रजिस्टर्ड नम्बर RFC/नम्बर CCOP/2023/JODHPUR/203848 पर दर्ज है। यह रजिस्टर्ड समिति से हिंदु समाज के लोगो की धार्मिक भावना से जुडी है तथा धार्मिक कार्य किये जाते है। ख०न० 240/98 रकबा 1 बीधा 8 बिस्वा भूमि चाके सुरपुरा तहसील व जिला जोधपुर मे आई हुई है भोमियाजी जो कि हिंदु के देवता मे से एक है एक थान भी बना हुआ है। इसी स्थान पर चबुतरा बना हुआ है। जो पिछले 150-200 वर्षो से पुराना है। जहॉ भोमियाजी की पुजा की जाती है। पिछले कुछ वर्षो से जमीन के भाव अत्यधिक बढ़ने के कारण समिति की जमीन पर बदनियति से हड़पने की नियत से उस पर कब्जा करना चाहते है। वर्णित खसरा नम्बर 240/98 की भूमि राजस्व रेकर्ड मे भोमियाजी का थान के स्थान पर गैरमुमकिन दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाकर उसके स्थान पर भोमियाजी किया जावे। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार जोधपुर के पास दिनांक 08/5/24 को प्रा० पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा पटवारी हल्का सुरपुरा ने रिपोर्ट मे बताया है कि यह स्थान सेटलमेंट से ही गैरमुमकिन दर्ज है जिसे शुद्ध किया जाना संभव नही है। [signature] 13/6/2024 उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर	

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case उपखण्ड अधिकारी जोधपुर Year (उत्तर)

जय भोमियाजी विकास समिति Versus तहसीलदार (जोधपुर)

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of office action
	बहस वकुलाय सुनी गयी। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार की रिपोर्ट पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वो 136 LRA CT के तहत नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रार्थी द्वारा पत्रावली के साथ सलग्न जमाबंदी खतौनी संवत् 50-53 में ख.न. 240/98 गै.मु. स्थान दर्ज है, तथा खतौनी मौजा [illegible] परगना जोधपुर, जोधपुर गवर्नमेन्ट संवत् में खसरा नम्बर 240/98 (क्रा.५) रकबा 91/3 दर्ज है फिर आगे जमाबंदियो मे उक्त खसरे को गै.मुमकिन स्थान पर बिला कब्जा ~~[illegible]~~ पड़त [illegible] दर्ज है। उक्त परिवर्तन किस आदेश के तहत दर्ज किया गया है जिसका कोई दस्तावेज पेश नही किया है। अब प्रार्थी गै.मु. स्थान के स्थान पर गैरमुमकिन भोमियाजी दर्ज करवाना चाहता है। राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर जारी आदेश एवं निर्देशो के अनुसार भूमि के किस्म परिवर्तन के अधिकार राज्य सरकार में निहित है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भोमियाजी समिति के अधीन होना बताया है लेकिन रजिस्टर्ड पत्र मे उक्त कृषि भूमि का उल्लेख नही है। उक्त भूमि वर्तमान में राज्य सरकार मे निहित होने से वर्तमान प्रा.पत्र प्रार्थी का धारा 136 LRAct के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 19/06/2024 उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर	

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर